26/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/8/24 को पेश हो। sd/-

6/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट में अंकित तथ्यों एवं तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया ग्राम आण्ड की बावड़ी पटवार हल्का दांताकला भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल माण्डल में आ०नं० 392/124 रकबा 0.1265 हैक्टर प्रार्थीया पारस देवी पत्नि लक्ष्मीलाल शर्मा निवासी भीलवाड़ा के नाम राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2074 से 77 की जमाबन्दी में खातेदारी से अंकित है/ इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आ०नं० 124/11 रकबा 0 बीघा ग्राम आण्ड की बावड़ी में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपनी खातेदारी की आ०नं० 124/11 का आवासीय प्रयोजन

sd/-
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
से सम्परिवर्तन कराया। इस हेतु आ०न० 124/11 में से सड़क सीमा में आने वाली 5 बिस्वा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किए जाने से अप्रार्थी सं० 3 के आदेश दि० 22/4/2016 से उक्त समर्पित रकबे के नवीन आ०न० 410/124 रकबा 0.0632 हैक्टर बने जो खाता संख्या 1 में दर्ज हो गया। शेष 15 बिस्वा के आ०न० 124/11 को अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 में गैरमु० आबादीय दर्ज है। परन्तु नक्शा में उक्त आ०न० 410/124 को मुख्य प्रार्थीया की आ०न० 392/124 के सामने दर्ज कर दी जो गलत है क्योंकि उक्त रकबा आ०न० 124/11 की पश्चिमी सीमा पर अंकन होना चाहिये। इसकी पुष्टि तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट से भी होती है। अतः प्रार्थना पत्र नक्शे में तरमीम शुद्धि हेतु स्वीकार फरमा मुख्य प्रार्थीया की आ०न० 392/124 के आगे से नक्शा में अंकित आ०न० 410/124 को हटाया जाकर आ०न० 124/11 की पश्चिमी सीमा की तरफ अंकन कराने का आदेश विपक्षी सं० 3 को प्रदान कराया जावे। हमने बहस प्रार्थीया के अधिवक्ता की सुनी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. act में अंकित तथ्यों व तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2024/1050 दिनांक 25/5/24 का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म

कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 ग्राम माण्डु की बावड़ी के खाता सं० 58 में आ०न० 392/124 रकबा 0.1265 हैक्टर किस्म गैमु० आवासीय रकबा 0.0380 है० व 0.0885 हैक्टर गैमु० वाणिज्यिक पारस देवी पत्नि लक्ष्मीलाल शर्मा नि० संजय कॉलोनी भीलवाड़ा के नाम खातेदारी से दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम माण्डु की बावड़ी की आ०न० 124/11 रकबा 0.1897 हैक्टर किस्म गैमु० आवासीय चेतना पत्नि प्रीतम 1/2 काबरा व प्रियंका पत्नि वरुण 1/2 माहेश्वरी के नाम जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 के खाता सं० 35 में खातेदारी से दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 528 दि० 10/5/16 में आ०नं० 124/11 रकबा 1 बीघा भूमि किस्म बंजड़ अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम दर्ज होना इसमें से 5 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु छोड़ी जिसके नवीन नम्बर 410/124 दर्ज होना सिद्ध होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रास्ते की आ०नं० 410/124 अप्रार्थी सं० 1 व 2 की खातेदारी की आ०न० 124/11 में से छोड़ी गई है ऐसी स्थिति में यह रास्ता भी आ०न० 124/11 की पश्चिमी दिशा में तरमीम होना चाहिये। तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट दि० 28/5/24 व पटवारी रिपोर्ट दांतड़ा से भी इसकी पुष्टि होती है। परन्तु नक्शे में प्रार्थीया की आ०न० 392/124 के सामने रास्ते की आ०नं० 410/124 को गलत दर्ज कर दिया। जिसे पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार दुरस्त किया जाने हेतु प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मांडल को आदेशित किया जाता है कि ग्राम माण्डु की बावड़ी की आ०न० 392/124 के सामने दर्ज रास्ते की आ०न० 410/124 को पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस में हरी स्याही से दर्शाये अनुसार हटाया जाकर आ०न० 124/11 की पश्चिमी तरफ तरमीम किया जावे। नक्शे की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर गाम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा